

(19)

अंचल अधिकारी जोविन्द का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 178(V) 2018-19.

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाच एवं कार्रवाई से संबंधित।

2.4.18

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2010 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०ग०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरगजरूआ खारस भूमि की कायम की गयी जागददियों की जाच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

गौजा- रौतरा थाना- 110 खाता संख्या- 110 प्लॉट संख्या- — रकबा- — एकड़ की भूमि जो गैरगजरूआ खारस, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावदी उत्त. गौजा-के पजी-11 के जिल्द संख्या- 01 के पृष्ठ संख्या- 312 पर जमावदी रैयत पुमानन्द महतो पिता स० अ०मानमहती के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावदी का संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अर्पित बंदाधरता के आधार पर/ अर्पित काइकर बंदाधरता के आधार पर/ अर्पित लगान निर्धारण के आधार पर/ सदा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावदी अर्पित प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमावदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमावदी को अर्पित मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सदा प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 11.4.18 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

2/4/18
अंचल अधिकारी

11.4.18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजों की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

16.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा शौरा थाना सं० 110 प्लॉट सं० — कुल रकबा-— जो जमाबंदी संख्या-312 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज यो लगान रसीद समर्पित है। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०-312 को रद्द करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जाँच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अभिलेख प्राप्त सुपुत्राधिकार / अचल अधिकारी 21/11/18 को प्रत्येक
 दिनांक 16/11/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमावर्ती धारक को प्रत्येक
 प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 11/5/18 को प्रस्तुत
 करें।

12/5/18

अभिलेख प्राप्त सुपुत्राधिकार / अचल अधिकारी 21/11/18 को प्रत्येक
 दिनांक 16/11/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमावर्ती धारक को प्रत्येक
 प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 11/5/18 को प्रस्तुत
 करें।

श्री सुभाष अचल अधिकारी
 अधिकारी

12/5/18

अभिलेख प्राप्त सुपुत्राधिकार / अचल अधिकारी 21/11/18 को प्रत्येक
 दिनांक 16/11/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमावर्ती धारक को प्रत्येक
 प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 11/5/18 को प्रस्तुत
 करें।

12/5/18

अभिलेख प्राप्त सुपुत्राधिकार / अचल अधिकारी 21/11/18 को प्रत्येक
 दिनांक 16/11/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमावर्ती धारक को प्रत्येक
 प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 11/5/18 को प्रस्तुत
 करें।

12/5/18

अभिलेख प्राप्त सुपुत्राधिकार / अचल अधिकारी 21/11/18 को प्रत्येक
 दिनांक 16/11/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमावर्ती धारक को प्रत्येक
 प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 11/5/18 को प्रस्तुत
 करें।

17/5/18

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 10/8/18 දින
වන විට

අනුමැතිය

21/8/18

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 4/9/18 දින
වන විට

අනුමැතිය

1/9/18

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 10/10/18 දින
වන විට

අනුමැතිය

10/11/18

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 4/12/18 දින
වන විට

අනුමැතිය

2/12/18

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 11/1/19 දින
වන විට

අනුමැතිය

4/1/19

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 1/2/19 දින
වන විට

අනුමැතිය

1/2/19

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ වන පිටපත්
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 26/2/19 දින
වන විට

අනුමැතිය

20/3/19

Handwritten notes in a cursive script, possibly a mix of English and another language, including the words "Handwritten" and "Notes".

Handwritten signature or name.